न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या न0 84/2024 जीसीएमएस नम्बर–2024/300

लेखराम उम्र 60 वर्ष पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी चन्द्रपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं।

प्रार्थी/आवेदक

बनाम

1. रामनिवास पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी चन्द्रपुरा तहसील मण्डावा व जिला झुन्झुनू।
2. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा नूंआ जरिये शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक नूआ जिला झुन्झुनूं।
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

निर्णय दिनांक 26.06.2025

माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 05.09.2024 के द्वारा अपीनान्ट पक्ष (अनावेदक संख्या 01) की अपील स्वीकार कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 20.06.2022 को अपास्त करते हुए प्रकरण क्षेत्राधिकारिता में न्यायालय हाजा को प्रतिप्रेषित किया गया कि उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनःमौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश दिये। प्रकरण पुनः दिनांक 17.10.2024 को दर्ज किया गया। माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के पारित निर्णय की पालना में उभय पक्षकार की मौजुदगी में मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी की गई।

माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 05.09.2024 में अपीनान्ट पक्ष (अनावेदक संख्या 01) आज दिनांक तक अनुपस्थित रहा है। अतः इसके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई।

तहसीलदार मण्डावा के द्वारा पत्रांक भू.अ./2025/796 दिनांक 17.05.2025 के द्वारा रास्ता मौका रिपोर्ट पेश की गई ।भूमि ख.न. 153 में पहुंच हेतु भूमि ख.न. 152 में बिन्दु संख्या ए से बी तक लम्बाई 78 मीटर है तथा बिन्दु संख्या सी से डी तक लम्बाई 70 मीटर है ।

विद्वान अभिभाषक आवेदक की बहस सुनी गई। अभिभाषक आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौराह हुए निवेदन किया कि तहसीलदार मण्डावा मण्डावा की रास्ता मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता कायम करने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक के खेत ख.न. 153 में पहुंच बाबत खसरा न. 152 में से निकटतम दुरी पर है। प्रार्थी के ख.न. में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार मण्डावा की जांच रिपोर्ट से होती है। प्रथमदृष्टया प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण को खेत ख.न.153 में आने–जाने के लिये निकटतम दूरी खेत खसरा खसरा न. 152 में प्रस्तुत नजरी नक्शे के बिन्दु "C" से "D" से रास्ते की लम्बाई 70मी. व चौडाई 3.66 मीटर है जो तहसीलदार मण्डावा की मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शानुसार दर्शित है,को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मण्डावा को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. की दोगुना दर से राशि आवेदक से वसूल कर अनावेदकगण को दी जावे। तदनुसार राशि जमा होने पर रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा